भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 83

उत्तर देने की तारीख 18 नवंबर, 2019

महिलाओं और बच्चों का कौशल विकास

83. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमारः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास योजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत छह वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत योजना-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त सफलता का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) आदिवासी महिलाओं और बच्चों का विकास सुनिश्चित करने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा बहुत सी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में केंद्र/राज्य की विभिन्न स्कीमों के महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। महिलाओं और बच्चों के लिए इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण स्कीमें नीचे दी गई हैं:

(i) अनु.जनजातियों के लिए बालिकाओं और बालकों के छात्रावास की स्कीम: इस स्कीम के अंतर्गत नए छात्रावास भवन का निर्माण करने और/अथवा मौजूदा छात्रावास का विस्तार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। सभी बालिका छात्रावासों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बालक छात्रावासों का निर्माण करने के लिए भी राज्य सरकारें 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से की पात्र हैं। अन्य बालक छात्रावासों के लिए वित्त पोषण पद्धति राज्य सरकारों के लिए 50:50 के आधार पर हैं।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य आदिवासी छात्रों में साक्षरता दर को बढ़ाने और उन्हें देश की अन्य जनसंख्या के समान लाने के लिए अनु.जनजाति हेतु आवासीय स्कूल उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सभी बालिका आश्रम स्कूलों का निर्माण करने और बालक आश्रम स्कूलों का निर्माण करने के लिए भी राज्य सरकारें 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से की पात्र हैं। अन्य बालक छात्रावासों के लिए वित्त पोषण पद्धति राज्य सरकारों के लिए 50:50 के आधार पर हैं।

(iii) कम साक्षरता वाले जिलों में अनु.जनजाति बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीम: इस स्कीम को 2001 की जनगणना के अनुसार पहचान किए गए कम साक्षरता वाले ऐसे 54 जिलों

में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां अनु.जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है और महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

(iv) उपर्युक्त के अलावा स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में अनु.जनजाति के छात्रों की धारिता को अधिकतम करने और उच्च शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय अनु.जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, श्रेष्ठतम शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति जैसी छात्रवृत्तियों के रूप में नकद प्रोत्साहन देता है।

(v) आदिवासी उप-स्कीम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता: यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत अनुदान है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, लघु अवसंरचना आदि के लिए सहायता प्रदान करके अनु.जनजाति और अन्य के बीच के अंतर को समाप्त करना है। यह एक लचीली स्कीम है और समान मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों में मदद करती हैं।

(vi) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान: यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत अनुदान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में अनु.जनजातियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई विकास की स्कीमों या उस राज्य के क्षेत्रों के शेष प्रशासन में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए लागत को पूरा करने हेतु दी जाती है। निधियां विभिन्न क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के लिए राज्यों को प्रदान की जाती हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 12,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से 4 वर्षों (2016-2020) के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) और विशेष परियोजना (एसपी) के अंतर्गत महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के 1 करोड़ लोगों को कौशलीकरण प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2.0) 2016-20 का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के दो घटक अर्थात केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) और केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सीएससीएम घटक के अंतर्गत कौशलीकरण के लिए 75 प्रतिशत निधियां उपलब्ध हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सीएसएसएम घटक के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 25 प्रतिशत निधियां आवंटित की हैं। पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार 64.27 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 26.75 लाख महिलाएं हैं। सीएससीएम घटक के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। इसके अलावा पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है। महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए स्कीम तैनाती बाद सहायता, परिवहन भत्ता, अतिरिक्त सहायता, भोजन तथा आवास (जहां लागू हो) प्रदान करती है।

दीर्घावधि प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दिया जाता है। कुल 15,510 आईटीआई हैं जिनकी सीट क्षमता 35.44 लाख है। आईटीआई में 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित और तैनात की गई महिला उम्मीदवारों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केवल महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न स्थानों पर 18 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला) हैं।

अनुबंध-I

'महिला तथा बच्चों के कौशल विकास' से संबंधित श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछा गया लोक सभा प्रश्न संख्या 83 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत आवंटित निधि तथा खर्च की गई धनराशि (करोड़ में) का ब्यौरा

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
आवंटित निधि	550.00	1,132.48	1,887.96	1,464.00	5,034.44
खर्च की गई निधि	195.50	1,794.34	1,424.69	1,191.83	4,606.36

अनुबंध- II

'महिला तथा बच्चों के कौशल विकास' से संबंधित श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछा गया लोक सभा प्रश्न संख्या 83 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत निधि के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित निधि 2016-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6,32,51,698
2	आंध्र प्रदेश	94,74,11,712
3	अरुणाचल प्रदेश (करोड़ों में)	43,27,34,640
4	असम	72,76,40,878
5	बिहार	1,38,05,74,540
6	चंडीगढ़ (लाख में)	15,84,06,394
7	छत्तीसगढ़	15,84,06,394
8	दादरा और नगर हवेली	6,15,88,800
9	दमन और दीव (लाख में)	6,15,88,800
10	दिल्ली	1,24,71,73,200
11	गोवा	72,29,13,937
12	गुजरात	1,19,82,71,693
13	हरियाणा	86,27,97,499
14	हिमाचल प्रदेश	76,21,46,003
15	जम्मू और कश्मीर	72,83,18,354
16	झारखंड	88,79,25,730
17	कर्नाटक	1,38,08,20,896
18	केरल	1,10,01,29,940
19	लक्षद्वीप	3,69,53,280
20	मध्य प्रदेश	1,23,26,26,512
21	महाराष्ट्र (करोड़ों में)	2,57,32,87,845
22	मणिपुर	49,99,77,879
23	मेघालय	51,79,92,602
24	मिजोरम	56,46,30,721
25	नोगालैंड	50,84,30,941
26	ओडिशा	89,37,45,871
27	पुडुचेरी	15,57,17,016
28	पंजाब	80,69,30,592
29	राजस्थान	94,62,15,130
30	सिक्किम	7,54,46,280
31	तमिलनाडु	2,06,58,64,320
32	तेलंगाना	91,78,42,489
33	त्रिपुरा	54,07,35,000
34	उत्तर प्रदेश	2,09,04,00,000
35	उत्तराखंड	74,26,99,339
36	पश्चिम बंगाल	1,90,23,24,060

अनुबंध- II

'महिला तथा बच्चों के कौशल विकास' से संबंधित श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछा गया लोक सभा प्रश्न संख्या 83 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईटीआई के अंतर्गत 2014-15 से 2018-2019 तक प्रशिक्षित महिला उम्मीदवारों का ब्यौरा

कुल प्रशिक्षित महिला शिक्षु (लाख में)				2018-19 प्रशिक्षित की जा रही महिला प्रशिक्षु (लाख में)
2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
0.60	1.02	1.06	2.83	2.01

****